न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No.2020/00141 (Bank Case)
Manual no- 37/2020

मैसर्स कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस–27 बीकेसी, जी ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉपलैक्स बांद्रा (ई) मुम्बई व ब्रांच ऑफिस छठी मंजिल अटलांटिस टावर डी–231/232 आम्रपाली मार्ग वैशाली नगर जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि विवेक जोशी

—— प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कारपोरेशन प्रोपराईटर शम्भु दयाल गर्ग निवासी प्लॉट नम्बर–जी 1–411 सी– इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रीयल एरिया रोड नम्बर 6 कोटा
2. शम्भूदयाल गर्ग निवासी हाउस नम्बर 4–ई–22 रंगबाडी कोटा
3. मैसर्स दीपक इंडस्ट्रीज प्रोपराईटर दीपक गर्ग निवासी प्लॉट नम्बर ई–28 एग्रो फूड पार्क राणपुर कोटा
4. मैसर्स मंगल सेल्स कॉरपोरेशन पार्टनरशिप फर्म जरिये पार्टनर दीपक कुमार गर्ग एवं राजेश कुमारी गर्ग पता–सी–217 सेठ भामाशाह मण्डी कोटा

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री अतुल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 26.08.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मैसर्स कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस–27 बीकेसी, जी ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉपलैक्स बांद्रा (ई) मुम्बई व ब्रांच ऑफिस छठी मंजिल अटलांटिस टावर डी–231/232 आम्रपाली मार्ग वैशाली नगर जयपुर से अप्रार्थीगण ने दिनांक 29.11.2014 को ऋण खाता संख्या 9111508429 में 2,50,00,000/– (अक्षरेः दौ करोड़, पचास लाख मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अपनी अचल सम्पत्ति आवासन मण्डल का भूखण्ड हाउस नम्बर 4–ई–22 रंगबाडी कोटा जिसका कुल क्षैत्रफल162 वर्ग मीटर है । जिसकी लीजडीड उप पंजीयक कोटा द्वारा दिनांक 26.10.2006 को सम्पादित की गई है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 01.05.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी उसके खाते मे 1,82,62,398.66 (अक्षरेः एक करोड़, बयांसी लाख, बांसठ हजार, तीन सौ अठ्यानवें रूपये छियांसठ पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 01.05.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे

जिला मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 15.07.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "सीमा सन्देश" में व अंग्रेजी समाचार पत्र एक्सप्रेस नेटवर्ग में दिनांक 17.10.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 15.07.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "सीमा सन्देश" में व अंग्रेजी समाचार पत्र एक्सप्रेस नेटवर्ग में दिनांक 17.10.2019 को प्रकाशन भी कराया इसकेबावजूद बन्धककर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 15.07.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "सीमा सन्देश" में व अंग्रेजी समाचार पत्र एक्सप्रेस नेटवर्ग में दिनांक 17.10.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता की **अचल अपनी अचल सम्पत्ति आवासन मण्डल का भूखण्ड हाउस नम्बर 4–ई–22 रंगबाडी कोटा जिसका कुल क्षैत्रफल162 वर्ग मीटर है । जिसकी लीजडीड उप पंजीयक कोटा द्वारा दिनांक 26.10.2006 को सम्पादित की गई है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 26.08.2020 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner